सहकारी बैंकों में अतिदेय के उत्तरदायी तत्व एवं सुझाव

प्राप्तिः 26.02.2021
स्वीकृतः 15.03.2021

डॉ0 रूचि रानी
अर्थशास्त्र विभाग
आर.एस.एम. कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)

डॉ0 भूदेव सिंह
अर्थशास्त्र विभाग
आर.एस.एम. कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)

Email: raniruchi567@gmail.com

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योगों में रोजगार प्राप्त करती है और अपनी जीविका का पालन करती है। सहकारी बैंक कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में इनका त्रिस्तरीय ढांचा उपलब्ध है। प्रथम प्रदेश स्तर पर, द्वितीय जिला स्तर पर तथा तृतीय ग्रामीण स्तर पर। इस बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में कृषि वित्त की समस्या का निराकरण करके कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परन्तु विगत वर्षो में इन बैंकों के सम्मुख अतिदेय की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जो दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है और ये बैंक वित्तीय समस्याओं से ग्रस्त हो गये हैं। अतः शोधार्थिनी द्वारा अपने शोध पत्र में इस अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों को जानने का प्रयत्न किया है तथा इस समस्या के निराकरण हेतु उचित सुझावों को संकलित करने का प्रयास किया है।

प्रस्तावना

श्री यूगोपापी के अनुसार, 'किसी आय में वृद्धि आर्थिक विकास की कुंजी है और यदि कोई राष्ट्र सर्वप्रथम उसे प्राप्त करने में असफल रहता है तो समस्त विकास प्रक्रिया अवरूद्ध हो सकती है।'' इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को आर्थिक विकास की उचित दर प्राप्त करने हेतु कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास करना होगा जिसके लिए कृषि वित्त की समस्या को दूर करना होगा क्योंकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों को रासायनिक खाद, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा, आधुनिक उपकरणों व विपणन की सुविधाओं की आवश्यकता होगी और यदि ये आवश्यकतायें तभी पूरी हो सकती हैं जबकि उन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हों। वित्त सम्बन्धी आवश्यकतायें समय–समय पर मिलने वाले अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन साख द्वारा पूरी होगी। इसलिए भारत में इन सभी प्रकार की साख सुविधाओं को सहकारी वित्त के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

अल्कालीन व मध्यकालीन साख की व्यवस्था जिला स्तर पर सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है जबकि दीर्घकालीन साख की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाती

है। अतः सहकारी वित्त के इस ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है परन्तु अतिदेय की समस्या इन बैंकों की स्थिति को कमजोर कर रही है जिस पर ध्यान आकर्षित करना आवष्यक है।

प्रस्तुत षोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1.अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों को अवलोकित करना।

2.सहकारी वित्त से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव संकलित करना।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से प्राथमिक समंकों पर आधारित है जिसके लिए एक उचित अनुसूची का निर्माण करके शोधार्थिनी द्वारा उत्तरदाताओं से समंक संकलित किये गये हैं।

कुल 250 के प्रतिदर्ष में 150 कृषक वर्ग से, 60 कर्मचारी वर्ग से तथा 40 अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। चुने गये कृषकों में 50 सीमान्त कृषक(0 से 1 हेक्टेयर), 80 लघु कृषक (1 से 2 हेक्टेयर) तथा 20 अन्य कृषक(2 हेक्टेयर से अधिक) को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है।

समंकों के विष्लेशण हेतु सारणीयन एवं अन्य स्थिति रीति का प्रयोग किया गया है।

समंकों का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा चुने गये क्षेत्र में 150 कृषकों का चयन किया गया है जिनमें 43 कृषक ऐसे है जिन्होंने निश्चित समय अवधि में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी कर दी है जबकि 69 कृषक ऐसे हैं जिन्होंने आंषिक रूप से ऋण का पुर्नभुगतान किया है। इस प्रकार कुल 150 कृषकों में से 107 कृषक पूर्ण रूप से बकायेदार हैं जिन पर बैंक का अतिदेय है। इन कृषकों से अतिदेय के कारण जानने के लिए शोधार्थिनी द्वारा अपनी अनुसूची में 10 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये गये। अनुसूची के आधार पर वर्गकरण करने पर निम्नांकित तालिका के अनुसार अनुस्थितियां प्राप्त हुई हैं।

तालिका : अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्व

क्र. सं.	अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्व	बकायेदार कृषकों की स्थिति		
		आवृत्ति N=107	प्रतिशत	अनुस्थिति (Rank)
1	समय से ऋण प्राप्त न होना	74	69.2	3
2	कम उत्पादन होना	98	91.6	1
3	फसल का उचित मूल्य न मिलना	81	75.7	2
4	आय प्राप्ति के अन्य साधनों का अभाव होना	69	64.5	4
5	बड़े परिवार के व्यय का भार	54	50.5	6
6	गत ऋण का प्रयोग पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में करना	17	15.9	10
7	ऋण पुर्नभुगतान के संदर्भ में सही जानकारी का अभाव	40	37.4	7
8	भविष्य में ऋण प्राप्ति की इच्छा न होना	35	32.7	9
9	पुनः ऋण प्राप्ति में कठिनाई होना	57	53.3	5
10	राजनैतिक कारण	39	36.4	8

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों की अनुस्थिति निम्न प्रकार है–

1. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों में सर्वप्रथम कृषकों को अच्छी फसल का न होना तथा भौगोलिक परिस्थितियों व अन्य कारणों से कृषि का नष्ट होना मुख्य कारण है।
2. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों में दूसरा स्थान फसलों का उचित मूल्य न मिलना है क्योंकि कृषकों को अपनी फसलों को बेचने पर उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता तो उसकी ऋण देने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. जब कृषकों का समय से ऋण उपलब्ध नहीं होगा तो वह कृषि से सम्बन्धित कीटनाशक, दवाएं इत्यादि उपलब्ध नहीं करा पायेगा। जिससे फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा तब भी उसकी ऋणशोधन क्षमता कम होगी।
4. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों के अन्तर्गत आय प्राप्ति के अन्य साधनों का अभाव होता है। यदि कृषक सिर्फ कृषि कार्य में ही संलग्न है और कृषि के अतिरिक्त आय प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं होते तब भी अनेक परिस्थितियों में भी ऋण नहीं चुका पाता।
5. कृषकों के द्वारा कभी–कभी दोबारा ऋण प्राप्त करने की कठिन प्राक्रिया से बचने के कारण भी ऋण अदा करने में लापरवाही करते हैं और बकायेदार हो जाते हैं।
6. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों में कृषकों के लिए बड़े परिवार के व्यय का भार भी मुख्य कारण होता है क्योंकि बड़े परिवार के होने पर होने वाला व्यय भी अधिक होगा और बचत कम होगी। जिसके कारण कृषक के ऋण देने की क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
7. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों में ऋण पुर्नभुगतान के संदर्भ में सही जानकारी का अभाव भी रहा है क्योंकि अशिक्षित कृषकों को कर्मचारियों के द्वारा ऋण पुर्नभुगतान के सम्बन्ध में समय पर सही सूचना के अभाव में ऋण शोधन क्षमता प्रभावित होती है।
8. अतिदेय के लिए राजनैतिक कारण भी मुख्य है क्योंकि जो कृषक राजनीति में संलग्न रहते हैं वह अपने राजनैतिक दबदबे के कारण ऋण का पुर्नभुगतान नहीं करते।
9. अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों में मुख्य कारण कृषकों द्वारा प्राप्त किये गये ऋण को पारिवारिक दायित्वों में खर्च कर देना जिससे उनकी ऋणशोधन क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

अतिदेय के सम्बन्ध में सुझाव

अतिदेय के लिए उत्तरदायी तत्वों का अवलोकन करने के उपरांत शोधर्थिनी ने उनके निराकरण हेतु जो सुझाव संकलित किये हैं वे निम्नलिखित हैं –

1. ऋणों का समय से न मिलना कृषकों की एक प्रमुख समस्या है जिसके कारण उनके द्वारा लिये गये ऋण का कृषि कार्यों में सदुपयोग नहीं किया जाता। अतः इस

सम्बन्ध में सुझाव यह दिया जाता है कि कृषकों को उचित समय पर बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराये जाये।

2. अनुसंधान के दौरान इस अतिदेय का दूसरा कारण अनेक कारणों से फसल का कम उत्पादन होना रहा है जिसके कारण वे फसल से पर्याप्त धन प्राप्त नहीं कर पाते और बैंक का ऋण समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते। अतः इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि इस परिस्थिति में उन्हें जो ऋण दिये गये थे उनके ब्याज में कमी करके उनका पुनर्गठन किया जाये।
3. भारत में विपणन सुविधाओं के अभाव में कृषकों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि सरकार द्वारा विपण सुविधाओं का विस्तार किया जाये तथा एम.एस.पी. पर अधिक से अधिक उत्पादन क्रय किया जाये।
4. अनुसंधान के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकांश कृषकों के पास कृषि के अतिरिक्त आय प्राप्ति का अन्य साधन नहीं था, अतः कृषि से पर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण ऋण का भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाया अतः इस संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि विशेष तौर पर सीमान्त एवं लघु कृषकों को पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करके वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये जिससे उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो चके और वे समय पर ऋण का भुगतान कर सकें।
5. लगभग 50 प्रतिशत कृषक ऐसे पाये गये जिनके परिवार का आकार 5 सदस्यों से भी अधिक था। अतः इस परिस्थिति में शिक्षा एवं अन्य व्ययों के कारण बचत करना सम्भव नहीं था। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में उचित जनसंख्या नीति को बनाकर इस प्रकार की समस्या का भविष्य में निराकरण करना चाहिये।
6. लगभग 16 प्रतिशत कृषक ऐसे पाये गये जिन्होंने कृषि ऋण का प्रयोग पारिवारिक दायित्वों जैसे बच्चों के विवाह, शिक्षा और बीमारी के निवारण हेतु खर्च कर दिया गया जिसके कारण ऋणों का पुर्नभुगतान सम्भव नहीं हो पाया। अतः इस संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि ऋणों का प्रयोग जिस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिया गया है, में करना सुनिश्चित किया जाये।
7. लगभग 37 प्रतिशत कृषकों ने ऋण पुर्नभुगतान के सम्बन्ध में सही जानकारी के अभाव को भी ऋण पुर्नभुगतान के लिए जिम्मेदार माना। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि ऋण देते समय ही ऋण पुर्नभुगतान के संदर्भ में कष्शकों को सही जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध करायी जाये।
8. लगभग 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि उन्हें भविष्य में ऋण की कोई इच्छा नहीं है अतः उनका सिविल खराब हो जाये, तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सम्बन्ध में सुझाव यह दिया जाता है कि ऋण देते समय बैंक को ऋणी के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

9. लगभग 53 प्रतिशत कृषकों ने यह भी बताया कि पुनः ऋण प्राप्ति करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वे पुर्न ऋण संरचना के सम्बन्ध में उदासीन रहते है। इस संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि बैंकों को पुनः ऋण देने में कृषकों की कठिनाईयों को दूर करके ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।
10. 36 प्रतिशत से अधिक कृषकों ने राजनैतिक कारण को भी अतिदेय के लिए उत्तरदायी माना, उनका कहना है कि जो लोग समय पर ऋण अदा करते हैं उन्हें सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती परन्तु बकायेदारों का ऋण सरकार द्वारा समय–समय पर माफ कर दिया जाता है। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि जो लोग समय पर ऋण अदा करें उन्हें ब्याज में छूट दी जाये तथा सरकारों को ऋण माफी योजना से परहेज करना चाहिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अतिदेय के उक्त कारणों का निराकरण करके सरकार एवं बैंकों को उचित नीति का निर्धारण करना चाहिए।

वर्तमान में सरकार ने इस संदर्भ में किसान क्रेडिट योजना का संचालन करके एवं प्रत्येक कृषक परिवार को 6000 रू0 प्रतिवर्ष का भुगतान करके कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये है। इसके अतिरिक्त बीमा योजना एवं कृषि विपणन में सुधार करके ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जा सकती है जिससे न केवल अतिदेय की समस्या का निराकरण होगा बल्कि उनके परिवारों का रहन–सहन का स्तर पर ऊंचा होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Desh Pandey, S.N.(1984) : *Some problems of Co-operative Financing*, Himaliyan Publication, House, Mumbai.
2. माथुर, बी0एस0(2002) : *भारत में सहकारिता,* साहित्य भवन, आगरा
3. सिन्हो, वी0सी(2006) : *भारतीय अर्थव्यवस्था,* साहित्य भवन, आगरा

Journals/Patrikas/Newspapers

1- Indian Journal of Agricultural Economics , Vol. XXIII, XXIV, XXVI

2- Land Bank Journal

3- Uttar Pradesh- Annuals